

सुरेश कुमार बनाम सदैव 47/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.5.25	पत्रावली पेश। कमील उक्त पत्र 39 काम का इंतजाम दिनांक 15.5.25 को पेश की	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.5.25	पत्रावली पेश। कमील उक्त पत्र 39 कमील पत्रावली नो कम्प्लेंट हेतु कम्प्लेंट माहा। अचानक एडिशन गवा। 9/6/25 कम्प्लेंट दिनांक 23.5.25 को पेश की	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.5.25	पत्रावली पेश। कमील उक्त पत्र 39। काम का इंतजाम दिनांक 4.6.25 को पेश की	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
4.6.25	पत्रावली पेश। कमील उक्त पत्र 39। काम का इंतजाम दिनांक 5.6.25 को पेश की	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.6.25	पत्रावली - वेबसाइट पर उक्त पत्रावली पेश की गयी पत्रा. 9/1/25 का पेश दिनांक 18.6.25 को पेश	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.6.25	पत्रावली पेश। अपील अपीलान्त..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शाश्वत पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाव तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 49/2024

1 सुरेश कुमार पुत्र चतुरसैन आयु 47 साल जाति सैनी निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।



अपीलांटस

बनाम

1 सहदेव सिंह पुत्र रिछपाल सिंह आयु 59 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

2 अमित पुत्र विनोद उम्र 24 साल जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3 कमला देवी पत्नी औंकारमल उम्र 62 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

4 कृष्णा देवी पुत्री चतुरसेन उम्र 57 साल

5 जय पुत्र विनोद उम्र 20 साल

6 नीतू पुत्री विनोद उम्र 52 साल

7 प्रेमलता पत्नी विनोद उम्र 52 साल

समस्त जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

8 बनवारीलाल उम्र 55 साल

9 रमेश उम्र 68 साल

10 शिवदीन उम्र 50 साल

11 सुनिल उम्र 48 साल

समस्त पुत्रगण चतुरसेन

12 श्रवणी देवी पुत्री चतुरसेन उम्र 50 साल

13 बनारसी देवी पत्नी बाबूलाल उम्र 53 साल

14 संतोष देवी पत्नी सीताराम उम्र 52 साल

15 सरस्वती देवी पत्नी पूरणमल उम्र 69 साल

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

समस्त जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

16 प्रहलाद सिंह उम्र 68 साल

17 जमनसिंह उम्र 65 साल

18 सायर सिंह उम्र 55 साल

19 उम्मेद सिंह उम्र 60 साल

समस्त पुत्रगण रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

20 भंवर सिंह पुत्र बदनसिंह उम्र 70 साल जाति राजपूत निवासी तहसील के सामने श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

21 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

22 पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

23 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।



रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्ली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 94/2022 उनवानी प्रकरण सहदेव सिंह बनाम अमित आदि दिनांकित 17.07.2023

अपील संख्या 47/2024

1 सुरेश कुमार पुत्र चतुरसैन आयु 47 साल जाति सैनी निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।


अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर



बनाम

- 1 सहदेव सिंह पुत्र रिछपाल सिंह आयु 59 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।
- 2 अमित पुत्र विनोद उम्र 24 साल जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।
- 3 कमला देवी पत्नी औंकारमल उम्र 62 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।
- 4 कृष्णा देवी पुत्री चतुरसेन उम्र 57 साल
- 5 जय पुत्र विनोद उम्र 20 साल
- 6 नीतू पुत्री विनोद उम्र 52 साल
- 7 प्रेमलता पत्नी विनोद उम्र 52 साल  
समस्त जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।
- 8 बनवारीलाल उम्र 55 साल
- 9 रमेश उम्र 68 साल
- 10 शिवदीन उम्र 50 साल
- 11 सुनिल उम्र 48 साल  
समस्त पुत्रगण चतुरसेन
- 12 श्रवणी देवी पुत्री चतुरसेन उम्र 50 साल
- 13 बनारसी देवी पत्नी बाबूलाल उम्र 53 साल
- 14 संतोष देवी पत्नी सीताराम उम्र 52 साल
- 15 सरस्वती देवी पत्नी पूरणमल उम्र 69 साल  
समस्त जाति माली निवासी ढाणी बिज्यावाली वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।
- 16 प्रहलाद सिंह उम्र 68 साल
- 17 जमनसिंह उम्र 65 साल
- 18 सायर सिंह उम्र 55 साल
- 19 उम्मेद सिंह उम्र 60 साल  
समस्त पुत्रगण रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी पटवारियां वाली कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।

  
 पदम राजरव अपाल अधिकारी  
 सीकर



- 20 भंवर सिंह पुत्र बदनसिंह उम्र 70 साल जाति राजपूत निवासी तहसील के सामने श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।  
 21 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।  
 22 पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर।  
 23 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 09.02.2024 न्यायालय  
 उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर उनवानी  
 प्रकरण सहदेव सिंह बनाम अमित आदि मु.नं. 94/2022

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री शिवदयाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:—16/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023, 09.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय में दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 2187, 2210, 2212, 2213, 2214, 2219,

  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर




2220 कुल किता 7 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में स्थित होकर वादी हिस्सा 433/9180 का रिकार्डेड खातेदार काशतकार है एवं बाकी हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 20 है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काशत की भूमि है। जिसका अभी तक विधिक तकास्मा नहीं हुआ है। वादी अपनी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काशत की भूमि पर मौके पर पूर्णतया काबिज काशत चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा भू-माफिया गिरोह से मिलकर बिना बंटवारा करवाये ही उक्त भूमि को खुर्द बुर्छ करने पर उतारू है। इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा व विधिक विभाजन करवाये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या 1, 4 से 11 की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 25 द्वारा जवाब दावा मय क्रोस दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.07.2023 को प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 27.12.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति का निर्णय किया जाकर आपत्ति निरस्त कर उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही वादी का वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिकी दिनांक 09.02.2024 को जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावा में जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर वादी के अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। उसी रास्ते से वादी अपनी कृषि भूमि में आया जाया करते है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर काबिज अनुसार प्रारम्भिक डिकी बनाये जाने बाबत सहमति दी गई थी। तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बिना कोई सूचना व नोटिस दिये मनमाने आधार पर उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 को बनाया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव कर आपत्ति किये जाने के बावजूद मनमाने आधार पर इसे अंतिम डिकी मानकर इसी के अनुसार उक्त वाद पत्र गलत रूप से डिकी कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2023 को उक्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर




मंगवाये जाने के आदेश किये जाते समय यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आरआरटी पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभयपक्षों को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तैयार करवाये जाने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्देश की पालना किये बिना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों व मौतबिरान के हस्ताक्षर के कॉलम में वादी सहदेव सिंह एवं अमित पुत्र विनोद का नाम अंकन किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अमित के हस्ताक्षर नहीं है। अमित पुत्र विनोद दिनांक 27.09.2023 को अपने कार्यालय में ड्यूटी पर था। अमित पुत्र विनोद का नाम गलत रूप से अंकित किया गया है। तहसीलदार द्वारा केवल मात्र वादी के परिवारजन के हस्ताक्षर उक्त रिपोर्ट पर करवाये गये हैं। तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट मौके पर कब्जे के अनुसार तैयार नहीं की गई। तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त रिपोर्ट अपने कार्यालय में वादी को लाभ पहुँचाये जाने के उद्देश्य से मनमाने आधार पर तैयार की गई है। तहसीलदार द्वारा सहखातेदारों को सूचना दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना किये जाने के क्रम में दिनांक 03.08.2023 को पक्षकारों को दिनांक 25.08.2023 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त दिनांक को तहसीलदार मौके पर उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.08.2023 के अतिरिक्त अन्य कोई नोटिस पत्रावली में मौजूद है। तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 को तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 2730-2750 दिनांक 03.08.2023 द्वारा जारी किये जाने का कथन किया गया है। उक्त नोटिस दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित होने बाबत जारी नहीं किये जाकर दिनांक 25.08.2023 को उपस्थित होने बाबत जारी किये गये थे। इस प्रकार उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पक्षकारान को दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित होने बाबत किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने व

  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर




उभयपक्षकारान की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रकट होने एवं पक्षकारान को एतराज होने के दशा में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उतराज किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट को सही होना मानकर उक्त अंतिम डिक्री पारित कर की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकी बनायी जाकर साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही उक्त प्रकरण का निस्तारण विधिनुसार किया जाना चाहिये था। वादी द्वारा विचारण न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई नवीन रास्ता बाबत ईस्तदुआ नहीं चाही गयी। तहसीलदार द्वारा मनमाने आधार पर अपीलान्ट की कृषि भूमि में से रकबा कम करते हुए नया रास्ता 2187/1 कायम कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट की कृषि भूमि में से बिना कोई मुआवजा दिये ही उक्त रास्ता विधि विरुद्ध तरीके से कायम कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को बंटवारे में हिस्सा बराबर दिये जाने के बजाय काफी कर ज्यादा किया जाकर हिस्सों में काफी अन्तर किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा वादी के कृषि भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता होने व वादी द्वारा अपने वादपत्र में रास्ता होने व उक्त रास्ते के गेट लगा होने का कथन किया गया है। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा गलत रूप से रास्ता अपीलान्ट की कृषि भूमि में कायम कर दिये जाने बाबत एतराज किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर भारी भूल कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 25 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व क्रोस दावा पर मनन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। इस कारण उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोजेन्ट द्वारा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 17.07.2023 को उभयपक्ष की सहमति से मौके पर कब्जे काशत एवं विधिक हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री की सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर करने के उपरांत प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलान्ट इस स्वीकारोक्ति से एस्टोपड है। अतः प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 49/2024 खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18

  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर

से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति खारिज करने के उपरांत विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वकुलाये उभयपक्ष पक्षकारान की नोटिस जारी किए जाकर वकुलाय उभयपक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की जाना प्रकट होता है। यदि वकील प्रतिवादीगण मय पक्षकारान को कोई एतराज होता तो वह मौके पर रिपोर्ट तैयार करते समय एतराज प्रकट कर सकते थे। मौके पर रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते की भूमि का रकबा वादी की भूमि में से ही कम किया जाना प्रकट होता है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका निरीक्षण करते हुए बहमराह पटवारी भूअभिलेख निरीक्षक के साथ मौका देखा जाकर मौतबिरान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी स्वयं असालतन या वकालतन उपस्थित होकर चाराजोही कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था। जबकि तहसीलदार द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 2187/1 में रकबा 0.07 हैक्टेयर में गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए हिस्सानुसार जमीनें दिया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार आपत्ति का निस्तारण कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावा में जवाब दावा प्रस्तुत किया जाकर वादी की अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने का कथन किया गया है। उसी रास्ते से वादी अपनी कृषि भूमि में आया जाया करते हैं। अपीलान्ट द्वारा मौके पर काबिज अनुसार प्रारम्भिक डिक्री


  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर





बनाये जाने बाबत सहमति दी गई थी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 25 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व क्रॉस दावा पर मनन किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना एवं क्रॉस दावा का निर्णय किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकी बनायी जाकर साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही उक्त प्रकरण का निस्तारण विधिनुसार किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बिना कोई सूचना व नोटिस दिये उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 को बनाया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव कर आपत्ति किये जाने के बावजूद आपत्ति का विधि अनुसार निस्तारण किये बिना विचाराधीन डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2023 को उक्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश किये जाते समय यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आरआरटी पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभयपक्षों को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तैयार करवाये जाने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्देश की पालना किये बिना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों व मौतबिरान के हस्ताक्षर के कॉलम में वादी सहदेव सिंह एवं अमित पुत्र विनोद का नाम अंकन किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अमित के हस्ताक्षर नहीं है। अमित पुत्र विनोद दिनांक 27.09.2023 को अपने कार्यालय में ड्यूटी पर था। अमित पुत्र विनोद का नाम गलत रूप से अंकित किया गया है। तहसीलदार द्वारा केवल मात्र वादी के परिवारजन के हस्ताक्षर उक्त रिपोर्ट पर करवाये गये हैं। तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट मौके पर कब्जे के अनुसार तैयार नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा सहखातेदारों को सूचना दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं किया

  
 मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर



गया। तहसीलदार द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना किये जाने के क्रम में दिनांक 03.08.2023 को पक्षकारों को दिनांक 25.08.2023 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त दिनांक को तहसीलदार मौके पर उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.08.2023 के अतिरिक्त अन्य कोई नोटिस पत्रावली में मौजूद नहीं है। तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2023 को तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 2730-2750 दिनांक 03.08.2023 द्वारा जारी किये जाने का कथन किया गया है। उक्त नोटिस दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित होने बाबत जारी नहीं किये जाकर दिनांक 25.08.2023 को उपस्थित होने बाबत जारी किये गये थे। इस प्रकार उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पक्षकारान को दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित होने बाबत किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव माननीय मण्डल के निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाना प्रकट नहीं होता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने व उभयपक्षकारान की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रकट होने एवं पक्षकारान को एतराज होने के दशा में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय एतराज किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट को सही होना मानकर उक्त अंतिम डिक्री पारित कर की गई। तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिक आधार के अपीलान्ट की कृषि भूमि में से रकबा कम करते हुए नया रास्ता 2187/1 कायम कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट की कृषि भूमि में से बिना कोई मुआवजा दिये ही उक्त रास्ता विधि विरुद्ध तरीके से कायम कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को बंटवारे में हिस्सा बराबर दिये जाने के बजाय काफी कम ज्यादा किया जाकर हिस्सों में काफी अन्तर किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा वादी के कृषि भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता होने व वादी द्वारा अपने वादपत्र में रास्ता होने व उक्त रास्ते के गेट लगा होने का कथन किया गया है। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा गलत रूप से रास्ता अपीलान्ट की कृषि भूमि में कायम कर दिये जाने बाबत एतराज किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विवेचन नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर



विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री भी विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन जवाब दावे एवं कोस दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी) एवं  
भू-प्रबन्ध अधिकारी अधिकारी  
सीकर  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
सीकर